



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8465/2026
CNR: RJHC010607252026
URN: CRLMB / 18385U / 2026

Praful S/o Shri Babulal, Aged About 26 Years, Resident Of
Khudecha Tehsil, Pipar City District Jodhpur, (Presenly Lodged
Central Jail, Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Papparam S/o Rakharam, 02. Resident Of Village Jalkha,
Tehsil Pipar City, District Jodhpur

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Gour
For Respondent(s)	:	Mr. P.S. Panwar, PP Mr. Jaswant Suthar Mr. Shokat Ali

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 64(2)(एम), 137(2), 308(2), 351(3) बी.एन.एस. व धारा 5(एल) सपठित धारा 6, धारा 11(4) सपठित धारा 12 पोक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त पढ़ने वाला बच्चा है। प्रार्थी-अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता स्वयं प्रार्थी-अभियुक्त से दोस्ताना संबंध रखती हैं एवं प्रार्थी-अभियुक्त से विवाह करना चाहती है परंतु घरवाले उसका विवाह प्रार्थी-अभियुक्त के साथ नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह मुकदमेबाजी हुई है। दोनों के मध्य चैट व फोटोग्राफ्स होना बताते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस



मामले में पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान के पश्चात पुनः प्रार्थी-अभियुक्त पीड़िता जो मुस्तगीस की पुत्री है, का अपहरण करके ले गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/26 पुलिस थाना पीपाड़ शहर में दर्ज करवाई गई है। पीड़िता के न्यायालय में बयान से पूर्व प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान के पश्चात दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/2026 का अवलोकन किया। पीड़िता द्वारा अपने बयान में बिना सहमति से प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा संबंध बनाना स्पष्ट रूप से बताया है और पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पापा को फोन से धमकी भी दी गई है, जो प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा दी जाना बताया।

06. ऐसी अवस्था में इस मामले के गुणावगुण पर विवेचन किए बगैर इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए इस स्टेज पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J